श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: एफ. 1 (147)/ला.बा.श.रा.सं.वि/सा.प्र./2021-22/773 दिनांक: 06/12/2021

परिपत्र

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जांच करते समय कुछ बिलों में सामान्यतः यह पाया गया है कि कार्मिकों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर बनाए गए नए विनियम "Rules relating to Medical Attendance and Reimbursement-2021" में उल्लिखित विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में, चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को "Rules relating to Medical Attendance and Reimbursement-2021" और सी.जी.एच.एस के नियमानुसार सूचनार्थ व तत्काल अनुपालन हेतु जारी किए जाते हैं :-

(1) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध **संशोधित फॉर्म संख्या-24** (Medical Form No. 24- Revised) में विधिवत भरे हुए निर्धारित प्रोफार्मा में उपचार के पूरा होने /अस्पताल से छुट्टी होने की तिथि से 06 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वेतन मैट्रिक्स स्तर, मूल वेतन, रोगी का विवरण, परामर्श, लैब इन्वेस्टीगेशन इत्यादि का पूरा विवरण भरना अनिवार्य है। अधूरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह पर की गई जांच/प्रयोगशाला परीक्षण/इमेजिंग (investigation/ lab test/ imaging) इत्यादि की रिपोर्ट चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) दवाईयों की प्रतिपूर्ति डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि (अधिकतम 01 माह) के लिए ही की जाएगी, हालांकि क्रोनिक बीमारी (chronic disease) के मामलों में सी.जी.एच.एस/ केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर बनाए गए नए विनियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों को डॉक्टर के पर्चे की मूल प्रति (original) या प्रमाणित फोटोकॉपी (certified photocopy), कंप्यूटराइज्ड दवा बिल / कैश मेमो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इत्यादि के साथ निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार चिकित्सक द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र (essentiality certificate) जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26/03/2021 के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में प्रस्तुत किए गए चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे. पी. सिंह 06/12/2021

(जे.पी सिंह)
सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

प्रतिलिपि:

1. समस्त संकाय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष
2. कुलानुशासक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / छात्रावास अधिष्ठाता
3. उप-कुलसचिव (लेखा) / उप-कुलसचिव (परीक्षा)
4. अधिशासी अभियंता
5. संगणक प्रमुख को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय बेबसाइट में प्रदर्शित करें तथा समस्त शैक्षणिक/ गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को व्हाट्सप्प ग्रुप/SMS के माध्यम से सूचित करें |
6. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
7. समस्त सहायक कुलसचिव : इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परिपत्र में इंगित निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें |
8. माननीय कुलपति / कुलसचिव के निजी सचिव
9. समस्त अनुभाग अधिकारी
10. संबंधित पत्रावली

जे.पी.सिंह 06/12/2024

(जे.पी सिंह)

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)